उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-102/2019/1886(1)/30-3-2019

लखनऊ, दिनॉक 28 जून, 2019

<u>संशोधन/शुद्धि-पत्र</u>

श्री फरीदउद्दीन, नवप्रोन्नत, सम्भागीय परिवहन अधिकारी के स्थानान्तरण सम्बंधी कार्यालय-आदेश संख्या-94/2019/1886/30-3-2019, दिनांक 27-06-2019 के प्रस्तर-1 की दूसरी पंक्ति में त्रुटिवश सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अलीगढ़ **के स्थान पर** सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़ अंकित हो गया है।

अत: कार्यालय-आदेश दिनांक 27-06-2019 के प्रस्तर-1 की दूसरी पंक्ति में अंकित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, अलीगढ़ के स्थान पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अलीगढ़ पढ़ा जाय।

2- कार्यालय-आदेश दिनांक 27-06-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय-आदेश की शेष अन्य शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे ।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

<u>संख्या-102 /2019/1886(1)/30-3-2019, तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4- सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)।
5- सम्बन्धित अधिकारी।
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।